उत्तर:

भारत में प्रति दिन 1,50,000 टन से अधिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (municipal solid waste-MSW) उत्पन्न होता है। भारतीय शहरों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 200 ग्राम से 600 ग्राम तक अपशिष्ट उत्पन्न होता है। नगरपालिका के लगभग 75-80% ठोस अपशिष्ट को संगृहीत किया जाता है तथा केवल 22-28% अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं उपचार किया जाता है।

भारत में वर्तमान प्रणालियाँ बढ़ती शहरी आबादी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का प्रबंधन नहीं कर सकती हैं। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन चिंताओं का समाधान करने के लिए, देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में व्याप्त कमियों को समझना एक पूर्वापेक्षा है; इस संदर्भ में निम्नलिखित पर प्रकाश डाला जा सकता है:

संग्रहण के स्तर पर:

- **उद्गम स्रोत पर, अर्थात् घरेलू स्तर पर या सामुदायिक कचरे के डिब्बों में अपशिष्ट का संगठित एवं वैज्ञानिक रूप से नियोजित पृथक्करण का अभाव है।** असंगठित क्षेत्र, कचरा बीनने वालों और कबाड़ीवालों द्वारा अत्यधिक असुरक्षित एवं जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में संग्रहण, पृथक्करण और श्रेणीकरण किया जाता है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र** को भी आवृत करने के लिए औपचारिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, ये नियम अनौपचारिक क्षेत्र के रिसाइकल करने वालों को या तो औपचारिक क्षेत्र के रिसाइकल करने वालों को बेचने के लिए या औपचारिक होने के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान नहीं करते हैं।

उपचार या प्रसंस्करण के स्तर पर:

- भारत अभी भी अपशिष्ट-से-ऊर्जा (waste-to-energy) परियोजनाओं की सफलता के लिए संघर्षरत है। कम्पोस्ट-खाद संयंत्र **क्षमता से नीचे संचालित** होते हैं क्योंकि कम्पोस्ट-खाद का कुशलतापूर्वक विपणन नहीं किया जाता है तथा रासायनिक उर्वरकों पर भारी सब्सिडी के कारण यह किसान के लिए आर्थिक रूप से भी आकर्षक नहीं होता है।

निपटान के स्तर पर:

- भारत में, लगभग प्रत्येक शहर, कस्बे, या गाँव ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) के **अवैज्ञानिक निपटान** को अंगीकृत किया है। अपशिष्ट भराव-क्षेत्र की अवस्थिति हेतु वैज्ञानिक आवश्यकताओं; अपशिष्ट भराव-क्षेत्र के कामकाज की निर्धारित समय सीमा; टन भार पर आधारित ठेकेदारों के मुआवजे के रूप में अपशिष्ट भराव-क्षेत्र में अधिक अपशिष्ट क्षेपण करने आदि के संबंध में, नियमों का व्यापक उल्लंघन होता है।
- इसके अतिरिक्त, **केंद्रीकृत अपशिष्ट निपटान प्रणाली का वर्तमान प्रचलन केवल** समस्या को अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत से अपशिष्ट निपटान स्थलों तक स्थानांतरित करता है। जिसमें संभावित नकारात्मक बाह्य कारक एवं उच्च ईंधन की खपत के साथ अपशिष्ट का लंबी दूरी तक परिवहन भी सम्मिलित है।

समाज के स्तर पर:

- अभी तक, अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति नागरिकों में उदासीनता है तथा लोगों के योगदान का अभाव है। पृथक्करण एवं पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) के महत्व को अच्छी तरह से समझा नहीं गया है।

प्रशासनिक एवं नीतिगत स्तर पर:

- नगरपालिका अधिकारियों के पास संधारणीय नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (SWM) प्रबंधन विकसित करने से संबंधित लागतों को आवृत करने हेतु **अपर्याप्त बजट** होता है। कचरा एकत्र करने वालों द्वारा पुनर्चक्रण करने से नगरपालिकाओं के धन की बचत होती है, क्योंकि इससे संगृहित, परिवहन और निपटान किए जाने वाले कचरे की मात्रा में कमी होती है। अभी भी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु **औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र को समेकित करने के लिए नगरपालिकाओं द्वारा कोई ठोस पहल आरंभ नहीं की गई है।**
- शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा विशिष्ट कार्य योजनाओं हेतु **समन्वय का अभाव** तथा कार्यान्वयन के स्तर पर निम्नस्तरीय रणनीति अपनाई जाती है। भारत भर में वर्तमान SWM प्रणालियों में **उत्तरदायित्व का भी अभाव** है।